भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं० 26

दिनांक 03 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत द्वारा खाद्य तेलों का आयात

***26 श्री एस. कल्याणसुन्दरमः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2020 से भारत द्वारा आयातित नारियल तेल, ताड़ के तेल, सूरजमुखी के तेल और अन्य खाद्य तेलों की मात्रा और मूल्य का तेल–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाद्य तेलों के आयात से देश के किसानों और तेल मिल मालिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ऐसे किसानों और मिल मालिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

''भारत द्वारा खाद्य तेलों का आयात'' के संबंध में दिनांक 3 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 26 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): वर्ष 2019–20 से नारियल तेल, पाम तेल, सूरजमुखी तेल और अन्य खाद्य तेलों के आयात का मूल्य और मात्रा निम्नानुसार हैः

(मात्रा–मीट्रिक टन में और मूल्य अमरीकी मिलियन डालर में)

	2019-20		2020-21		2021-22	
विवरण	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
सोयाबीन का तेल	33,13,207	2,439	36,40,206	3,124	38,90,986	5,531
पाम तेल	85,91,302	5,092	74,92,192	5,753	80,50,731	10,115
सूरजमुखी का तेल	25,00,288	1,888	21,83,906	1,976	20,69,666	2,922
नारियल का तेल	2,451	2.0	713	0.8	226	0.5
मूँगफली का तेल	0.88	0.04	13	0.06	218	0.43
अन्य खाद्य तेल	3,14,874	252	2,22,991	235	2,66,320	423
उपरोक्त का कुल	**1,47,22,124**	**9,673**	**1,35,40,021**	**11,089**	**1,42,78,146**	**18,992**

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस

(ख) और (ग): घरेलू उत्पादन और मांग/खपत के अंतर को पाटने के लिए खाद्य तेलों के आयात की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे आयात का किसानों और अन्य स्टेकहोल्डरों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, भारत सरकार ने खाद्य तेलों सहित आवश्यक कृषि वस्तुओं की कीमतों, उत्पादन, उपलब्ध स्टॉक, उत्पादन अनुमानों, पूर्वानुमानों इत्यादि की समीक्षा करने के लिए एक अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) गठित की है। खाद्य तेलों सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है और उपचारात्मक उपाए किए जाते हैं। सरकार अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों, घरेलू मांग आपूर्ति की स्थिति, तिलहनों हेतु किसानों को उपलब्ध घरेलू कीमतों आदि पर विचार करके किसानों के लिए तिलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की भी घोषणा करती है तथा आईएमसी भी खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर नजर रखती है तथा जब भी आवश्यकता होती है उपयुक्त प्रशुल्क उपाय करने का सुझाव देती है। मौजूदा वर्ष में किसानों का मूंगफली, सरसों, तिल और सोयाबीन हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य दरों से अधिक मूल्य प्राप्त हो रहे हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर विशेष ध्यान देते हुए खाद्य तेलों के संबंध में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल–ऑयल पाम मिशन (एनएमईओ–ओपी) लांच किया है। एनएमईओ–ओपी की प्रमुख विशेषताओं में सामग्री के रोपण, अंतर–फसलीकरण के लिए इन्पुट्स और सीड गार्डन, नर्सरियों, माइक्रो सिंचाई, बोर वेल/पंप सेट/जल संचयन अवसंरचना, वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों, सोलर–पंपों, कटाई उपकरण, कस्टम हायरिंग सैन्टर सह हार्वेस्टर समूहों के रखरखाव/स्थापना, किसानों और अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा पुराने आयल पाम बगीचों की पुनः बुवाई हेतु सहायता प्रदान करना शामिल हैं। कच्चे पाम तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार–चढाव और बाजारों की अस्थिरता से किसानों की सुरक्षा करने के लिए, भारत सरकार ने पाम तेल के किसानों को निश्चित रिटर्न के रुप में फ्रेश फ्रूट बंचेज (एफएफबी) की व्यवहार्यता कीमत की संकल्पना प्रारंभ की है।

***